न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–139/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

अध्यक्ष, भूमि प्रबन्ध समिति, श्यामपुर नौआबाद, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा ग्राम प्रधान, गांव सभा, श्यामपुर।

बनाम

ललित भट्ट पुत्र दिवाकर भट्ट, निवासी– तरूण हिमालय परिसर, निकट शिवलोक कालोनी, हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री दिनेश त्यागी, श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री जे0पी0 शाह।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–03 वर्ष 2009–10 ललित भट्ट बनाम गांव सभा अन्तर्गत धारा–161 जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 23–03–2010 व 22–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्नवत हैः–

उत्तरदाता ललित मोहन भट्ट पुत्र दिवाकर भट्ट निवासी–तरूण हिमालय परिसर, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार ने एक प्रार्थना पत्र (तिथिरहित सम्भवतः सितम्बर, अक्टूबर 2009 में)उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके नाम श्यामपुर नौआबाद परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में खसरा नं0–40क, 41ख, 141ख, 40ख, 41 मि0 कुल क्षेत्रफल 0.6805 है0 भूमि दर्ज कागजात है उक्त भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नही है अतः ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि खसरा नं0–246 क्षेत्रफल 0.1000 है0 व खसरा नं0–314 क्षेत्रफल 3.2620 है0 में से 0.5805 है0 कुल क्षेत्रफल 0.6805 है0 भूमि के बदले विनिमय कर दिया जाए।

उक्त प्रार्थना पर नियमानुसार जांच आख्या प्राप्त करने के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 23–03–2010 से विनिमय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम समाज की भूमि पर ललित भट्ट एवं ललित भट्ट की भूमि पर ग्राम समाज का नाम अंकित करने के आदेश पारित किये गये। आदेश दिनांक 23–03–2010 के विरूद्ध हेमराज, प्रधान ग्राम पंचायत, श्यामपुर द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 05–09–2012

प्रस्तुत किया गया जिसे पुनर्स्थापन प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 22–06–2015 से निरस्त किया तथा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23–03–2010 को यथावत रखा।

इसी आदेश दिनांक 22–06–2015 व 23–03–2010 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं संगत अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य विनिमय में नियम–110क (2) जं0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि आलोच्य वाद में भूमि प्रबन्धन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही ली गई है, कि प्रस्ताव दिनांक 01–11–2009 भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव नही है जिसके लिए कोई कार्यसूची पूर्व से नही निर्गत की गई है, कि लेखपाल ने आख्या दी है कि उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर यह कहकर कराये गये कि वादग्रस्त भूमि पर चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय आदि निर्मित होने है, कि ग्राम सभा की भूमि का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह भूमि सड़क किनारे की भूमि है जबकि उत्तरदाता की भूमि नदी की भूमि है एवं ऐसा तत्कालीन राजस्व मंत्री जो कि उत्तरदाता के पिता है के प्रभाव में किया गया है, कि अपर कलेक्टर की जांच में आलोच्य विनिमय की सभी अनियमितताएं प्रकाश में आयी है, कि आलोच्य विनिमय के आधार पर कोई अध्यासन नही लिया गया है, कि निगरानीकर्ता निगरानी प्रस्तुत करने की दिन भूमि प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष था, कि निगरानीकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मात्र विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर अस्वीकार किया गया।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य विनिमय में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है एवं राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार नही है, कि निगरानीकर्ता द्वारा विनिमय निरस्तीकरण का प्रस्ताव नही किया जा सकता था वह स्वयं ही संदिग्ध आचरण का व्यक्ति है जो जेल रह चुका है एवं कि मंत्री का पुत्र होना कोई अपराध नही है।

भूमि विनिमय प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा जो कि तत्कालीन राजस्व मंत्री का पुत्र है के आवेदन पर आधारित होने के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया अनुचित प्रभाव के अधीन व्यवहरित होने की स्वाभाविक एवं विधिक धारणा होती है। यह धारणा भूमि प्रबन्धन समिति के प्रबन्धन वाली भूमि के सड़क के समीप होने एवं उत्तरदाता/प्रार्थी की भूमि नदी तल के होने के दृष्टिगत बलवती हो जाती है। प्रश्न यह है कि प्रार्थी/उत्तरदाता को अपनी भूमि के लिए रास्ता चाहिए तो क्या भूमि प्रबन्धन समिति के नियंत्रणाधीन वाली भूमि को रास्ते से वंचित रखा जाना चाहिए? तहसील कार्मिकों द्वारा तद्नुसार दोनो भूमियों का किया गया मूल्यांकन प्रकटतः (on the face it) त्रुटिपूर्ण एवं अवास्तविक है तद्नुसार विनिमय की सम्पूर्ण प्रक्रिया संदिग्ध है।

धारा–161 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत किसी भूमिधर की भूमि का विनिमय ग्राम सभा अथवा स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण वाली भूमि के साथ भी सम्भव है। ग्राम सभा अथवा स्थानीय प्राधिकारियों में निहित अथवा उनके प्रबन्धाधीन भूमि का स्वामी निःसंदेह राज्य सरकार है। सम्बन्धित ग्राम सभा अथवा स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमियों का प्रबन्धन मात्र करती है उन्हें बिना राज्य सरकार की पूर्वानुति के अपने प्रबन्धाधीन भूमि का अन्तरण करने की शक्ति नही प्राप्त है। आलोच्य विनिमय में निहित ग्राम सभा की भूमि भी राज्य सरकार की भूमि है जिसके विनिमय हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुति आवश्यक थी जो कि नही ली गई है। तद्नुसार पूरी कार्यवाही दूषित एवं शून्य है। भू–स्वामी को पता ही नही है कि उसकी भूमि का विनिमय हो गया।

इस सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली का नियम–110ख आंख खोलने वाला है जिसमें ग्राम सभा अथवा स्थानीय प्राधिकारी के विरूद्ध संस्थित क, ख, ग व घ वर्ग के वादों में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है। तद्नुसार पूर्व प्रस्तर में विवेचित स्थिति की पुष्टि इस नियम से होती है। उक्त नियम के वर्ग ग की भूमि से विनिमय में दी जाने वाली ग्राम सभा की भूमि आच्छादित है एवं राज्य सरकार को ऐसे विनिमय में पक्षकार तक नही बनाया गया है जो अत्यन्त आश्चर्यजनक है।

इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद राम चरित्र सिंह बनाम उप संचालक चकबन्दी आजमगढ़ व अन्य 1992 आर0डी0 100(एच0सी0 इलाहाबाद) में प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्था कि ग्राम सभा द्वारा किसी न्यायालय समझौता एवं संस्वीकृति पर धारा–110क (2) का प्राविधान आवृत्त होंगे भी इस प्रकरण में अत्यन्त प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान प्रकरण ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही ली गई है। भूमि विनिमय पर सीधी न्यायिक व्यवस्था राम कृपाल बनाम सुन्दर सिंह आर0डी0 1977 पृष्ठ 304 मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की है जिसमें यह अतिस्पष्ट किया गया है कि नियम–110क (2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अधीन पूर्वानुमति के बिना भूमि प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव का न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नही लिया जायेगा एवं ऐसा प्रस्ताव बिना प्राधिकार का माना जायेगा। आलोच्य प्रकरण में नियम–110क (2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली का कोई पालन नही हुआ है।

यह भी अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं खेदजनक है कि जिला राजस्व प्रशासन के संज्ञान में आलोच्य विनिमय आने के उपरान्त भी उनके द्वारा न तो विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष कोई विधिक चाराजोही की गई है न ही निगरानी प्रस्तुत की गई है। यंहा तक कि इस निगरानी में पक्षकार बनने के लिए भी कोई पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। यदि प्रकरण की जांच हुई थी एवं ऐसी जांच में अनियमितता प्रकाश में आयी थी तो राज्य सरकार मूकदर्शक कैसे बन गयी? क्या मात्र भूमि प्रबन्धन समिति को आगे कर उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान ली गई? राज्य सरकार की चुप्पी विस्मयकारी है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में आलोच्य विनिमय की कार्यवाही अवैधानिकता एवं तात्विक अनियमितताओं से ग्रसित एवं दूषित है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश।

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 23–03–2010 व 22–06–2015 अपास्त किये जाते है। राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित पक्ष विधिवत भूमि विनिमय हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस निर्णयादेश की एक प्रति सचिव, राजस्व उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं कलेक्टर जनपद हरिद्वार को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाए।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 02–05–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)